रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012021-224457 CG-DL-E-15012021-224457

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2021/पौष 25, 1942

No. 21]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2021/PAUSHA 25, 1942

# गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

# अधिसचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 23 (अ).--- राष्ट्रपति, एतद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ग" तथा समूह "घ" भर्ती नियम 2007 को जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड - II के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (आशुलिपिक ग्रेड - I) भर्ती नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

258 GI/2021 (1)

- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा तथा अर्हताएं, आदि पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता :- वह व्यक्ति
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
  - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
    - परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।
- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए
			स्तर	अचयन पद	गए व्यक्तियों के
					लिए आयु-सीमा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक	16 <sup>*</sup>	सामान्य केंद्रीय सेवा	स्तर - 6	चयन।	लागू नहीं।
ग्रेड-I	(2021)	समूह "ख",	(35400 रु		
	*कार्यभार के	अराजपत्रित	112400 रु.)		
	आधार पर	अनुसचिवीय।			
	परिवर्तन किया जा				
	सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष।	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा  (11) प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में आशुलिपिक ग्रेड-II में दस वर्षों की नियमित सेवा और तीन सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो, जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थान द्वारा तैयार किया जाएगा तथा प्रदान किया जाएगा। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष	यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना क्या है  (12)  1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे:  (1) उप महानिदेशक (मुख्यालय), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य; और (3) उप सचिव / निदेशक (एस), गृह मंत्रालय- सदस्य  2. समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे: (1) उप महानिदेशक (मुख्यालय), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष;	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा (13) संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य नहीं है।
पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता	(2) उप निदेशक (प्रशासन), स्वापक	

उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी	
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक	
पूरी कर ली हो।	
प्रतिनियुक्ति:	
केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक	
पदधारित अधिकारी, -	
(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित	
आधार पर पदधारित ; या	
(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -5	
(29200- 92300 रुपये) या समकक्ष	
स्तर में छह वर्षों की नियमित सेवा की	
हो; या	
(iii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर -4	
(25500- 81100 रुपये) या समकक्ष	
स्तर में दस वर्षों की नियमित सेवा की	
हो।	
टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे	
विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की	
सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के	
पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त	
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए	
विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि,	
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी	
या किसी अन्य संगठन या विभाग में	
इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित	
किसी अन्य काडर बाह्य पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि है	
साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	
टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन	
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. I-12014/51/2017-एन.सी.बी.- II) आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Narcotics Control Bureau)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2021

- **G.S.R. 23(E).** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Narcotics Control Bureau) Group 'C' and Group 'D' Posts Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- **4.** Disqualification.— No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient—so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of	Number	Classification.	Level in	Whether	Age-limit for	Educational and
post.	of posts.		the pay	selection or	direct recruits.	other qualifications
			matrix.	non-		required for direct
				selection		recruits.
				post.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stenographer	16*(2021)	General	Level-6	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Grade-I.		Central	(Rs.35400-			
	* Subject	Service,	112400).			
	to	Group 'B',				
	variation	Non-				
	dependent	Gazetted,				
	on the	Ministerial.				
	workload.					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
promotees.		absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	(i) 50 per	Promotion:	1. Group 'B'	Consultation
applicable.	years.	(i) 50 per cent. by promotion failing which by deputation; (ii) 50 per cent. by deputation.	Stenographers Grade II with ten years regular service in level-4 (Rs. 25500-81100) of the pay matrix and having successfully completed three weeks mandatory training, for which training program to be prepared and imparted by the Narcotics Control Bureau or at another institute approved by Narcotics Control Bureau.  Note-1:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service  Deputation:  Officers holding the post of Stenographer under the Central Government,- (a)(i) holding analogous post	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-  (1) Deputy Director eneral(Hqrs), Narcotics Control Bureau- Chairperson; (2) Deputy Director (Administration, Narcotics Control Bureau- Member; and (3) Deputy Secretary/Direct or(S), Ministry of Home Affairs- Member.  2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  (1) Deputy Director General(Hqrs),	with Union Public Service Commission is not necessary.
			on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in level-5(Rs. 29200-92300) of the pay matrix or equivalent; or (iii) with ten years regular	Narcotics Control Bureau- Chairperson; (2) Deputy Director (Administration, Narcotics Control Bureau-	

service in level-4 (Rs.25500-	Member; and
81100) of the pay matrix or	
equivalent.	Secretary/Direct
	or(S), Ministry
Note-1:- The departmental	of Home
officers in the feeder category	Affairs-
who are in the direct line of	Member.
promotion shall not be eligible	
for consideration for	
appointment on deputation.	
Similarly, the deputationists	
shall not be eligible for	
consideration for appointment	
by promotion.	
Note-2:- The period of	
deputation including the period	
of deputation in another ex-	
cadre post held immediately	
preceding this appointment in	
the same or some other	
organisation or department of	
the Central Government shall	
ordinarily not exceed three	
years.	
Note-3:-The maximum age-	
limit for appointment by	
deputation shall be not	
exceeding fifty-six years as on	
the closing date of receipt of	
application.	

[F. No. I-12014/51/2017-NCB-II] ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.